एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 2243/2007
माखनलाल व अन्य बनाम सिविल जज कोटपूतली व अन्य

2.5.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

श्री अजय गुप्ता, अधिवक्ता याचीगण की ओर से।

याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

याचिकाकर्तागण ने इस रिट याचिका में सिविल न्यायाधीश, कोटपूतली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.2.2007 को चुनौती दी है, जिसके अन्तर्गत उनके द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी को निरस्त कर दिया। उक्त आवेदनपत्र को याचिकाकर्तागण, जो कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी-किरायेदार हैं, ने दोनों पक्षों की साक्ष्य समाप्त होने और प्रकरण अंतिम सुनवाई के स्तर पर होने पर प्रस्तुत किया था एवं उक्त प्रार्थनापत्र के द्वारा सेल्स टेक्स, इनकम टेक्स व दस्तावेजात खाघ पदार्थ लाइसेन्स, कृषि उपज मण्डी की रसीदें, विघुत संबंध प्रतिभूति पत्र आदि को अभिलेख पर लिये जाने हेतु प्रार्थना की गयी थी। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थनापत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व में ऐसे दस्तावेज पेश नहीं करने का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया है और उपरोक्त दस्तावेज किसी पश्चातवर्ती घटना के परिणाम से उत्पन्न नहीं हुए हैं तथा पूर्व में ही उपलब्ध थे। विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रकरण के अंतिम स्तर पर जबकि मामला सुनवाई हेतु नियत था, प्रार्थनापत्र स्वीकार करना उचित नहीं समझा है।

इस प्रकरण में यह स्पष्ट होता है कि दावा दिनांक 3.3.2000 को प्रस्तुत किया गया, जवाबदावा दिनांक 12.2.2001 को प्रस्तुत किया गया, विवाघक दिनांक 1.2.2002 को बनाये गये और दोनों पक्षों की साक्ष्य

लेखबद्व किये जाने के उपरान्त मामला अंतिम सुनवाई हेतु नियत था। आक्षेपित आदेश के अवलोकन के पश्चात मैं उक्त आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाता हूं।

याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने मेरा ध्यान 1994 (4) एस.सी.सी. पृष्ठ 659 बिल्ला जगनमोहन रेडडी व अन्य बनाम बिल्ला संजीव रेडडी व अन्य की ओर आकर्षित किया, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि यदि न्यायालय विवाद के निस्तारण हेतु देरी से प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात को अभिलेख पर लिया जाना आवश्यक समझता है तो ऐसे दस्तावेजात को अभिलेख पर लिया जायेगा। उक्त निर्णय में आदेश 13 नियम 2 जाब्ता दीवानी का हवाला है। परन्तु विधायिका द्वारा दीवानी प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर 1.7.2002 से आदेश 13 नियम 2 को विलोपित कर दिया गया है। अत: उक्त निर्णय के तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न है और इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

अत: यह रिट याचिका निरस्त की जाती है।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति